(वाद संख्या–3805/18)

22.01.2020

परिवादीगण में से अजय कुमार नाथ, उपस्थित हैं।

परिवादी को सुना।

प्रस्तुत मामला, पूर्व विवाद के कारण परिवादी के निवास स्थान में लगे विद्युत संबंध को अनावश्यक रूप से बिजली कंपनी द्वारा विच्छेदित करने तथा विद्युत संबंध पुर्नस्थापित करने हेतु विहित शुल्क जमा करने के बाद भी विद्युत संबंध को चालू नहीं करने हेतु दिया गया है।

साउथ बिहार पावर डिसट्रब्यूशन कम्पनी लिमिटेड की ओर से यह प्रतिवेदित किया गया है कि विद्युत ऊर्जा चोरी करने को लेकर दिनांक–27.04.2017 को परिवादी के रफीगंज, औरंगाबाद स्थित निवास में लगे विद्युत संबंध को विच्छेदित करते हुए परिवादी के विरूद्ध विद्युत ऊर्जा चोरी का रफीगंज थाना कांड सं0–17/17, दिनांक–27.04.2017 संस्थित किया गया। बाद में परिवादी द्वारा विद्युत ऊर्जा चोरी व दण्ड राशि का दिनांक–10.10.2017 को भुगतान किया गया। तत्पश्चात् परिवादी की ओर से दिनांक–30.04.2018 को विद्युत संबंध स्थापित करने से संबंधित विहित शुल्क जमा किया गया। विद्युत संबंध स्थापित करने हेतु विद्युत शुल्क जमा करने के बाद, जब परिवादी के घर विद्युत संबंध स्थापित करने हेतु विद्युत कर्मी गये तो परिवादी द्वारा विद्युत संबंध स्थापित करवाने से इन्कार कर दिया गया। आज परिवादी का कथन है कि घर में पुरूष सदस्यों व गार्जियन के नहीं रहने के कारण विद्युत संबंध स्थापित करनेवाले कर्मियों को घर में प्रवेश नहीं करने दिया गया तथा उन्हें कुछ दिनों बाद करने को कहा गया। तत्पश्चात् विद्युत कंपनी द्वारा दिनांक–26.06.2018 को जब परिवादी को विद्युत संबंध स्थापित करवाने हेतु नोटिस निर्गत किया गया तो परिवादी द्वारा दिनांक–27.06.2018 को अपने निवास में विद्युत संबंध बहाल करने दिया गया। बिजली कंपनी का अंत में कथन है कि विद्युत संबंध विच्छेदित अवधि में जो विपत्र निर्गत किया गया

था उसमें सुधार करते हुए परिवादी को 7,886/–रुपये का बकाया विपत्र भुगतान करने हेतु विपत्र निर्गत किया गया, जिसका भुगतान परिवादी द्वारा दिनांक–30.04.2018 को कर दिया गया है तथा उक्त कांड पूर्णतः असत्य है।

परिवादी का कथन है कि उसे रफीगंज थाना कांड सं0–70/17, दिनांक–27.06.2017 में पूर्व दुश्मनी के कारण ही अनावश्यक रूप से फंसाया गया है।

यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि उपरोक्त कांड वर्त्तमान में विचारण हेतु औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में विचाराधीन है तथा आयोग के स्तर पर उपरोक्त कांड के असत्यता के संबंध में कोई विचार व्यक्त करना उचित नहीं होगा।

अब, जबकि परिवादी के निवास स्थान पर विद्युत संबंध पुर्नस्थापित हो चुका है, तो ऐसी परिस्थिति में मामले को आयोग के स्तर पर लंबित रखने का कोई औचित्य नहीं है।

अतः आयोग के स्तर पर प्रसंगाधीन मामले को बंद किया जाता है।

तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

ह0/–

(उज्ज्वल कुमार दुबे)

कार्यकारी अध्यक्ष

सहायक निबंधक